राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

आज दिनांक 27.2.2009 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक मुख्य सचिव महोदय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया:–

1 श्री सी0 के0 मैथ्यू, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
2 श्री राम लुभाया, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन
3 श्री राजेन्द्र भानावत, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
4 श्री तन्मय कुमार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
5 श्री श्रीराम चोरडिया, शासन उप सचिव, गृह
6 उप निदेशक, कृषि विभाग

बैठक में एजेण्डा के बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

अग्निशमन उपकरणों के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय के स्पष्टीकरण के रूप
1 बिन्दु संख्या 1:– (वाटर टेण्डर
में निर्णय लिया गया कि सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर दोनों प्रकार के एक–एक (वाटर टेण्डर व
व फोम टेण्डर) तथा सम्भागीय मुख्यालय, जयपुर पर दोनों प्रकार के दो–दो (वाटर टैण्डर व
फोम टेण्डर)अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जाये। इनके रख–रखाव व पी.ओ.एल. आदि पर
होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग/नगर निगम/नगर परिषद द्वारा वहन किया जायेगा।

गृह विभाग से प्राप्त 151.60 लाख के उपकरण राहत, बचाव व
2 बिन्दु संख्या 2:– सहमति प्रकट की गई । इस
खोज कार्य हेतु पुलिस विभाग को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विभाग को राशि की मांग प्रस्तुत
सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता उपकरणों की खरीद
करने पर राशि स्वीकृत/आवंटित की जायेगी। पुलिस विभाग द्वारा पुलिस विभाग आपदा
प्रकिया नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जाये। उपकरणों की खरीद कर प्रति आपदा प्रबन्धन एवं
प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के पेटे स्टॉक प्रविष्टि कर सत्यापित उस पर होने वाला व्यय
सहायता विभाग को प्रस्तुत करेंगे। इन उपकरणों का रख–रखाव व
पुलिस विभाग द्वारा अपने बजट से वहन किया जाएगा।

अकाल राहत कार्य संवत 2065 के सम्बन्ध में माह मार्च, 2009 हेतु
3 बिन्दु संख्या 3:– की गई। जिलेवार श्रमिक सीमा
1.30 लाख श्रमिक सीमा स्वीकृत करने की सिफारिश
परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

4 बिन्दु संख्या 4:— जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया गया कि दिनांक 5.2.2009 को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय यथावत रहेगा।

5 बिन्दु संख्या 5 :— जिला डूँगरपुर में नव सृजित 30 राजस्व ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रामों की सूची परिशिष्ट—2 पर संलग्न है।

6 बिन्दु संख्या 6 :— अभाव वर्ष संवत 2064 में वृद्ध, असहाय व्यक्तियों को स्वीकृत की गई अनुग्रह सहायता की समयावधि बढ़ाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

7 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :— ओलावृष्टि के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता सचिव ने विभाग द्वारा जारी किये गये राहत पैकेज की जानकारी समिति को दी गई। समिति द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से अपेक्षा करी गई कि इस राहत पैकेज का क्रियान्वयन शीघ्र एवं सही तरीके से कराया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

2/3/09

(तन्मय कुमार)
शासन सचिव

F 1(1)(5)आप्र/सहा/... 273249 / 2.3.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास, राज0 जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/गृह/जल संसाधन/कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
5 समस्त अधिकारीगण, आ0 प्र0 एवं सहायता विभाग।

शासन उप सचिव